

प्रति,

श्रीमान कनिष्ठ अधिकारी महोदय जी,  
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल छनेरा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश

**विषय: पूर्व शिकायत के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अनुरोध**

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि दिनांक 06/12/2024 को मैंने अपने खेत में अवैध विद्युत कनेक्शन और दुर्घटना के खतरे के संबंध में एक शिकायत पत्र आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया था। उक्त शिकायत पत्र में मैंने उल्लेख किया था कि मेरे खेत के पड़ोसी श्रीमती संतरी बाई पति श्री गुलाब सिंह नायक, श्री गुलाब सिंह नायक, निवासी ग्राम सडियापानी द्वारा मेरे खेत के बीच में स्थित विद्युत पोल से अवैध रूप से तीन फेज पंप का कनेक्शन लिया गया है।

मेरे खेत में फसल पक चुकी है, जिसे काटने के लिए मजदूरों और हार्वेस्टर मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग किया जा रहा है और यह अवैध कनेक्शन कार्य में बाधा के साथ-साथ मेरे खेत में लगी फसल के लिए खतरा है। साथ ही कार्यरत मजदूरों, मेरे और मेरे परिवार के लिए जानलेवा खतरा है। लाइनमैन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को तार हटाने के बाद आगे दिन दिनांक 21 मार्च 2025 को फिर से श्रीमती संतरी बाई और श्री गुलाब सिंह नायक द्वारा मेरे खेत में लगे पोल से अवैध रूप से तार जोड़ जा रहे हैं।

इस संबंध में तीन माह से अधिक बीत गए हैं, श्रीमती संतरी बाई स्वयं के खेत में एल. टी. पोल होने के बावजूद भी आज दिनांक तक भी पूर्ण रूप से मेरे खेत से अवैध कनेक्शन के तार नहीं हटा रहे हैं।

मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इस गंभीर मामले को गंभीरता से लें और शीघ्रतम संभव समय में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। श्री गुलाब सिंह नायक द्वारा किया गया अवैध कनेक्शन के तार अत्यंत खतरनाक हैं और किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। यदि विद्युत मंडल छनेरा द्वारा इस संबंध में तार हटाने में और देरी की जाती है, और इस बीच खेत में कार्यरत के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है, खेत में फसल को नुकसान पहुंचाता है, या कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल छनेरा, श्रीमती संतरी बाई और श्री गुलाब सिंह नायक संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

आशा है कि आप मेरे इस अनुरोध पर शीघ्र ध्यान देंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।

धन्यवाद।

भवदीय,

जितेंद्र पिता द्वारका प्रसाद  
वार्ड 05 नया हरसूद छनेरा, खंडवा  
9926043152 / 9933941166

दिनांक: 21/03/2025

**संलग्न:**

- पूर्व में (दिनांक 06/12/2024) मध्य प्रदेश विद्युत मंडल छनेरा कार्यालय में दिया आवेदन की छायाप्रति।

**प्रतिलिपि:**

- श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
- श्रीमान माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
- श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश
- श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी, हरसूद, जिला खंडवा मध्य प्रदेश
- श्रीमान अधिशासी अभियंता महोदय जी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जिला खंडवा
- श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय जी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, खंडवा वृत्त
- श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी, थाना हरसूद, जिला खंडवा मध्य प्रदेश

भवदीय,

जितेंद्र पिता द्वारका प्रसाद  
वार्ड 05 नया हरसूद छनेरा, खंडवा  
9926043152 / 9933941166

पूर्व में ( दिनांक 06/12/2024) मध्य प्रदेश विद्युत मंडल छनेरा कार्यालय में दिया आवेदन की छायाप्रति।



श्रीमान,

कनिष्ठ अधिकारी महोदय जी,

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल छनेरा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश

विषय: मेरे खेत में अवैध विद्युत कनेक्शन और दुर्घटना के खतरे के संबंध में शिकायत।

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि मैं जितेंद्र, पिता श्री द्वारका प्रसाद प्रजापति, निवासी नया हरसूद, जिला खंडवा, मेरी कृषि भूमि ग्राम सडियापानी पुलिस जाबाली, तहसील हरसूद में स्थित है। मैं आपके समक्ष यह शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ कि मेरे खेत पड़ोसी संतरी बाई पति गुलाब सिंह नायक, निवासी सडियापानी, तहसील हरसूद के खेत में एल टी विद्युत पोल होने के बाद भी उन्होंने मेरे खेत में लगे एल टी विद्युत पोल से श्री फेज पम्प कनेक्शन के लाइन तार जोड़े हुए हैं।


मैंने गुलाब सिंह नायक से कई बार मौखिक रूप से इस संबंध में बात की है और उनसे अनुरोध किया है कि वे तुरंत ये तार हटा दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मेरे खेत में अभी मक्का की फसल लगी है, एवं दिन प्रतिदिन फसल की निंदाई - गुड़ाई, खाद-दवा, पानी एवं फसल की देख-रेख के लिए मेरे खेत में लगातार स्वयं, मेरे परिवार से सदस्य, व मजदूर कार्यरत रहते हैं। यह कनेक्शन मेरे खेत में काम करने वाले मजदूरों और मेरे परिवार के लिए अत्यंत खतरनाक है। यदि कोई दुर्घटना होती है, या किसी प्रकार की जान-माल की हानि होती है तो इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल छनेरा के साथ-साथ संतरी बाई, गुलाब सिंह नायक भी जिम्मेदार होंगे।

अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस गंभीर समस्या के त्वरित निराकरण के लिए संतरी बाई, गुलाब सिंह नायक को उनके खेत में लगे एल टी पोल से तार जोड़ने के आदेश देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और मेरे खेत के विद्युत पोल से जुड़े तारों के कनेक्शन को तुरंत हटवाने की कृपा करें।

आपकी शीघ्र कार्रवाई के लिए मैं आभारी रहूंगा।

धन्यवाद।

दिनांक: 06/12/2024

  
आवेदक

जितेंद्र पिता द्वारका प्रसाद  
वाई 05 नया हरसूद छनेरा, खंडवा  
9926043152 / 9933941166

प्रतिलिपि:

1. श्रीमान ऊर्जा मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. श्रीमान कलेक्टर महोदय, खंडवा
3. श्रीमान अधिशासी अभियंता महोदय, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जिला खंडवा
4. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, हरसूद

दिनांक: 06/12/2024

आवेदक

जितेंद्र पिता द्वारका प्रसाद  
वाई 05 नया हरसूद छनेरा, खंडवा  
9926043152 / 9933941166



पूर्व में ( दिनांक 06/12/2024) जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, आवेदन की छायाप्रति।

श्रीमान,

कनिष्ठ अधिकारी महोदय जी,

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल छनेरा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश

विषय: मेरे खेत में अवैध विद्युत कनेक्शन और दुर्घटना के खतरे के संबंध में शिकायत।

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि मैं जितेंद्र, पिता श्री द्वारका प्रसाद प्रजापति, निवासी नया हरसूद, जिला खंडवा, मेरी कृषि भूमि ग्राम साडियापानी पुलिस आबादी, तहसील हरसूद में स्थित है। मैं आपके समक्ष यह शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ कि मेरे खेत पड़ोसी संतरी बाई पति गुलाब सिंह नायक, निवासी साडियापानी, तहसील हरसूद के खेत में एल टी विद्युत पोल होने के बाद भी उन्होंने मेरे खेत में लगे एल टी विद्युत पोल से श्री फेज एम्प कनेक्शन के लाइन तार जोड़े हुए हैं।

मैंने गुलाब सिंह नायक से कई बार मौखिक रूप से इस संबंध में बात की है और उनसे अनुरोध किया है कि वे तुरंत ये तार हटा दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मेरे खेत में अभी मक्का की फसल लगी है, एवं दिन प्रतिदिन फसल की निंदाई - गुड़ाई, खाद-दवा, पानी एवं फसल की देख-रेख के लिए मेरे खेत में लगातार स्वयं, मेरे परिवार से सदस्य, व मजदूर कार्यरत रहते हैं। यह कनेक्शन मेरे खेत में काम करने वाले मजदूरों और मेरे परिवार के लिए अत्यंत खतरनाक है। यदि कोई दुर्घटना होती है, या किसी प्रकार की जान-माल की हानि होती है तो इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल छनेरा के साथ-साथ संतरी बाई, गुलाब सिंह नायक भी जिम्मेदार होंगे।

अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस गंभीर समस्या के त्वरित निराकरण के लिए संतरी बाई, गुलाब सिंह नायक को उनके खेत में लगे एल टी पोल से तार जोड़ने के आदेश देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और मेरे खेत के विद्युत पोल से जुड़े तारों के कनेक्शन को तुरंत हटवाने की कृपा करें।

आपकी शीघ्र कार्रवाई के लिए मैं आभारी रहूंगा।

धन्यवाद।

दिनांक: 06/12/2024

आवेदक

जितेंद्र पिता द्वारका प्रसाद  
वार्ड 05 नया हरसूद छनेरा, खंडवा  
9926043152 / 9933941166

प्रतिलिपि:

1. श्रीमान ऊर्जा मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. श्रीमान कलेक्टर महोदय, खंडवा
3. श्रीमान अधिशासी अभियंता महोदय, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जिला खंडवा
4. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, हरसूद

आवेदक

दिनांक: 06/12/2024

जितेंद्र पिता द्वारका प्रसाद  
वार्ड 05 नया हरसूद छनेरा, खंडवा  
9926043152 / 9933941166